UPRB010010632026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी– कुशलपाल,

(एच जे एस)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–421/2026

रामचन्द्र यादव उम्र लगभग 53 वर्ष पुत्र स्व० राम लखन, निवासी जगन्नाथपुर थाना शिवगढ़, जिला रायबरेली। वर्तमान पता– यशोदा नगर नियम HP पेट्रोल पम्प लखनऊ। **.......प्रार्थी/अभियुक्त**

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

......अभियोगी।

दिनांक–11.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **रामचन्द्र यादव** की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपराध संख्या **689/2025** धारा– **103(1), 238A, 61(2) B.N.S.** थाना **बछरावां**, जिला **रायबरेली** में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 01.12.2025 को मृतक अभिषेक कुमार पुत्र श्री रामकृपा यादव उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम जगन्नाथपुर, पोस्ट देहली, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ग्राम सब्जी खेड़ा पुलिया के पास थाना क्षेत्र बछरावां में मिला। मृतक के भाई अवनीश कुमार उर्फ शीबू द्वारा थाना हाजा पर सूचना फौती अंकित करायी गयी, जिसके आधार पर मृतक अभिषेक के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही थाने द्वारा की गयी जिसमें चिकित्सक द्वारा पी०एम० रिपोर्ट में मृत्यु का तत्कालिन कारण मृतक के पूरे शरीर पर पायी गयी, घातक चोंटो से होना अंकित किया गया, तथा पोस्टमार्टम की जाँच उपनिरीक्षक द्वारा की गयी व चिकित्सक से वार्ता की गयी तो चिकित्सक द्वारा बताया गया कि मृतक के खोपड़ी पर चोट का घाव व चेहरे के दाहिनी तरफ चोट का घाव पीठ के ऊपरी हिस्से में पीठ की हड्डी टूटी पायी गयी व शरीर के अन्य भागों

पर घातक चोंटो से मृत्यु का होना बताया गया। मृतक अभिषेक की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा करने के बाद शव को छिपाया गया है। अतः दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से तर्क किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। उसके विरूद्ध कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि परिस्थितजन साक्ष्य के आधार पर उसे उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी /अभियुक्त को कथित अपराध में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तारी झूठी एवं गलत है। प्रार्थी/अभियुक्त को थाना पुलिस बछरावां द्वारा दिखाई गयी गिरफ्तारी स्थान गुझवा मनाखेड़ा लालगंज बाई पास समोधा से की गयी जो झूठी एवं मनगढन्त है, जबकि थाना पुलिस बछरावां द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त रामचन्द्र यादव को दिनांक 25.12 2025 को समय लगभग 4:30 बजे शाम को S.B Diagnastic Centare C.P 198 Babement Behind Singapare mall near hahnemanh charaha Viraj khand Gomti Nagar Lucknow 226010 से ड्यूटी के दौरान गेट पर बुलाकर गिरफ्तार किया गया। प्रार्थी / अभियुक्त को बिना किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। मृतक के भाई अविनाश उर्फ शीबू जो प्रार्थी /अभियुक्त का भतीजा है, चूंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज होने के कारण मिथ्या साक्ष्य व अविनाश उर्फ शीबू का गलत बयान दर्ज करके गुडवर्क के लिए थाना पुलिस बछरावां ने दौरान विवेचना प्रार्थी /अभियुक्त को फर्जी तौर पर अभियुक्त बनाया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.12.2025. से उपरोक्त अपराध में जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। प्रार्थी / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने कभी कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/ अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत व मुचलका देने को तैयार है जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी /अभियुक्त दौरान विचारण अभियोजन के साक्षियों को न प्रभावित करेगा और न ही अनुचित दबाव डालेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त कारणों एवं तथ्यों के आधार पर उचित जमानत एवं किसी मुचलके पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त द्वारा यह बहस की गई कि अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है, न ही मौके से पकड़ा गया है। उसके विरुद्ध कोई चक्षुदर्शी साक्षी भी नहीं है। अभियुक्त की कथित अपराध में प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तारी झूठी एवं गलत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः वह जमानत का हकदार है।

उक्त कथन का विरोध करते हुए अभियोजन द्वारा यह बहस की गई कि अभियुक्त ने सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से अभिषेक यादव की हत्या की। अभियुक्त एक शातिर अपराधी है। अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना से ठोस साक्ष्य पाये जा रहे हैं। अभियोजन द्वारा यह भी बहस की गई कि विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया जाना दर्शित होता है एवं विवेचना के दौरान साक्षीगण ने अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किये जाने का समर्थन किया है।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि मृतक अभिषेक यादव के भाई अवनीश कुमार द्वारा अपने भाई की हत्या की सूचना दिये जाने के पश्चात दर्ज मुकदमे में मृतक का पोस्टमार्टम कराये जाने पर मृतक के शरीर पर 7 घाव पाये गए, जिनमें से उसके कान, चेहरे पर चोटें थीं तथा सीने की पसलियाँ भी टूटी हुई थीं। मृतक के भाई अवनीश कुमार ने दिनांक 30.11.2025 को अभियुक्त विजय यादव एवं रमेश यादव को उसके भाई के द्वारा ओमनी गाड़ी से बैठाकर अंतिम बार ले जाये जाने की बात बतायी है, जिसके बाद मृतक का शव बरामद हुआ। वाहन स्वामी राकेश कुमार यादव द्वारा भी अपना वाहन विजय यादव को दिये जाने की बात बताई गई है। विजय यादव व रमेश यादव की कॉल डिटेल्स के आधार पर उनकी उपस्थिति नशा मुक्ति केन्द्र गोमती नगर, जहां मृतक अभिषेक यादव को डिस्चार्ज किया गया, के पास होना दर्शित किया गया है। अभियुक्त द्वारा मृतक अभिषेक यादव को रास्ते से हटाये जाने की योजना बनाया जाना और विजय व रमेश योजना के मुताबिक अभिषेक को ईको गाड़ी में बैठाकर लेकर चले जाना तथा अभिषेक को उसके रिश्तेदार विजय द्वारा अपने गाँव के पास पुलिया के नीचे मारकर डाल दिया जाना सी.डी. के पर्चा नं.–4 में अंकित किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त नहीं है। अतः अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाता है।

<u>**आदेश**</u>

अभियुक्त **रामचन्द्र यादव** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपराध संख्या **689/2025,** धारा– **103(1), 238A, 61(2) B.N.S.** थाना **बछरावां**, जिला **रायबरेली** के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

(कुशलपाल)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
UPID 6165
11.03.2026

रघुराजा,
आशुलिपिक